



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15,000/-रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- अ०सं०-102/2018 धारा-302 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय द०प्र०क्षे० जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.आशीष यादव पुत्र बिन्द्रावन 2. बिन्द्रावन पुत्र चिरन्जीलाल नि०गण टाई थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 3. मंगल कोरी पुत्र जमुना कोरी नि० बीलपुर थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री
चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक-
निरी० श्री वीरेन्द्र
प्रताप सिंह



पैरोकार- थाना जलालपुर
का० रवि तेवतिया